उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0– 850–का0विं0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/18–14–का0विं0नी0/87(एम.एफ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.07.2018 को सम्पन्न 140(21)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में **श्रेष्ठता एवं वरिष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयन के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 15/2017/13(2)/2007/का–1/2017 दिनांक 20.11.2017** *(छायाप्रति संलग्न)* की व्यवस्थाओं को कारपोरेशन की सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में यथावत् लागू किया जाता है।

2. उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव, अर्थात आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी। उपरोक्त के फलस्वरूप तत्संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधान तथा इस विषय में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्याः 850 (I)–का0विं0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(क्रमशः .....2)

13. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 19.07.2018 को सम्पन्न 140(21)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (कार्मिक)

संख्या-15/2017/13(2)/2007/का-1/2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2017

विषय:-राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु "श्रेष्ठता" आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायालयीय वादों (Court Cases) में यह निर्देश और सिद्धान्त (Instructions and rulings) दिये गये है कि पदोन्नति हेतु चयन के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का विनिश्चय करने हेतु विभागीय चयन समिति अपनी विधियों (Own Methods) एवं प्रक्रियाओं (Procedures) का निर्धारण करने हेतु अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ, विभागीय चयन समिति द्वारा किये जाने वाले मूल्यॉकन का मूल आधार हैं। इसलिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का मूल्यॉकन निष्पक्ष, न्याय संगत एवं भेदभाव रहित होना चाहिए।

2- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख विभागीय संगत सेवा नियमावलियों में किया जाता है। पात्रता सूची का निर्माण चयन वर्षवार घटित रिक्तियों के सापेक्ष अर्हता/पात्रता पूर्ण करने वाले कार्मिकों से की जाती है। "श्रेष्ठता" आधारित चयनों के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या/2908-का-1-83, दिनांक 22 मार्च, 1984 के प्रस्तर-2(2) में यह व्यवस्था है कि पात्रता सूची में सम्मिलित अधिकारियों को उनके सेवाभिलेखों/विशेष रूप से अन्तिम दस वर्ष के सेवाभिलेखों के आधार पर तीन श्रेणियों - 'अतिउत्तम', 'उत्तम' एवं 'अनुपयुक्त' में वर्गीकृत करने के पश्चात् सर्वप्रथम 'अतिउत्तम' श्रेणी के अधिकारियों में से उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार रिक्तियों को भरा जाय और उसके पश्चात् आवश्यकतानुसार 'उत्तम' श्रेणी के अधिकारियों में से शेष रिक्तियां भर ली जायें। 'अतिउत्तम' तथा 'उत्तम' श्रेणी के अधिकारियों में से चयनित अधिकारियों के नाम उनकी मूल वरिष्ठता के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करके एक सूची बना ली जाय।

3- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 1984 के प्रस्तर-2(2) तथा तद्विषयक शासनादेशों की व्यवस्था को संशोधित करते हुए "श्रेष्ठता" आधारित चयनों के सम्बन्ध में कृपया अधोलिखित प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

(क) उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष यथास्थिति निर्धारित अनुपात/गुणांक/उपलब्धता के आधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पर पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित समस्त अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाय । पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों का मूल्यॉकन उनकी अन्तिम दस वर्ष की प्रविष्टियों के आधार पर किया जाय (यथावश्यकता सम्पूर्ण सेवा काल की प्रविष्टियाँ देखी जा सकती हैं) तथा उनकी आपसी तुलनात्मक पारस्परिक श्रेष्ठता के क्रम में सर्वोत्तम अधिकारियों का चयन किया जाय ।

(ख) चयन समिति वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों, उसमें प्रदत्त श्रेणी व अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में समुचित मूल्यॉकन करेगी । प्रासंगिक अभिलेखों में सरकारी सेवक की प्रविष्टियों/श्रेणी के सन्दर्भ में दिये गये प्रत्यावेदन के सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया आदेश तथा मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश, यदि कोई हों, भी सम्मिलित हैं ।

(ग) पदोन्नति हेतु विचारण क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों हेतु विभागीय चयन समिति द्वारा एक मानक (Bench-mark) निर्धारित करते हुए अधिकारियों को केवल 'उपयुक्त' अथवा 'अनुपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा । विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले अधिकारियों को उपयुक्तता के आधार पर चयन सूची (Select Panel) में सम्मिलित किया जायेगा और उनके नाम उनकी पोषक संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता के क्रमानुसार व्यवस्थित किये जायेंगे । पदोन्नति के आदेश ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे । पदोन्नति हेतु 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों का अधिक्रमण (Supersession) नहीं होगा । विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिन अधिकारियों को 'अनुपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा, उनके नाम चयन सूची में नहीं सम्मिलित किये जायेंगे।

4- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995, जो दिनांक 10 जुलाई, 1995 को निर्गत की गयी है, में प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियो के निस्तारण की व्यवस्था दी गयी है । शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2/2013, दिनांक 01 फरवरी, 2013 द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के सन्तोषजनक, उत्तम/अच्छा तथा अतिउत्तम ग्रेडिंग के सापेक्ष प्रविष्टि प्राप्तकर्ता कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने की स्थिति में उसके निस्तारण की व्यवस्था दी गयी है । शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त नियमावली/शासनादेश की व्यवस्था का सम्यक् अनुपालन किये बिना चयन की कार्यवाही की जाती है अथवा चयन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं । कृपया चयन किये जाने अथवा चयन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व उपरोक्त नियमावली/शासनादेश की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय ।

5- शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि विभिन्न प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया जाता है, परन्तु आरोप-पत्र ससमय निर्गत नहीं किया जाता है । अनेक मामलों में यह देखने में आया है कि कई वर्षों तक आरोप-पत्र निर्गमन की प्रक्रिया विचाराधीन रहती है। इसी बीच चयन की कार्यवाही की जाती है अथवा चयन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं । यह स्थिति कार्मिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रबन्धन के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है । कृपया अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने के साथ ही यथासम्भव 15 दिन के भीतर आरोप-पत्र निर्गत कर दिये जायें । ऐसे मामलों में आरोप-पत्र निर्गत किये जाने के पश्चात् ही यथास्थिति चयन की कार्यवाही/चयन के प्रस्ताव प्रेषित किये जायें ।

6- उपरोक्त के आलोक में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

राजीव कुमार

मुख्य सचिव ।

संख्या-15/2017/13(2)/2007/का-1/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी

अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।